फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु(बाड़मेर) मुकाम बायतु

देवी बनाम गवरीदेवी वगैरा

किस्म मुकदमा धारा 212 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 नं 337/19 सन 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
07.11.2019	प्रार्थीनी की ओर से वकील श्री नरपत पूनड़ द्वारा यह प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीनी को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को न्यायहित में सुना गया। वकील प्रार्थीनी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीनी व विप्रार्थीगण संख्या 1 से 2 की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा रूगोणियों की ढाणी पटवार मण्डल भीमडा तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 328, 482, 483 में आई हुई है। उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीनी का जन्म से ही विधिक हक हिस्सा निहित है। प्रार्थीनी के अनुसार विप्रार्थीगण प्रार्थीनी के हक हिस्से की भूमि में दखलअन्दाजी कारित करने व कच्चा–पक्का निर्माण करने पर आमदा है और यदि ऐसा हो गया तो वाद बहुलता बढ़ेगी तथा प्रार्थीनी अपने विधिक हक हिस्से से महरूम हो जायेगी। प्रार्थीनी की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् प्रार्थीनी का विधिक हक हिस्सा निहित होना प्रतीत होता है अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थीनी के पक्ष में बनना प्रतीत होता है। विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख 04/12/19 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि वादग्रस्त आराजी मौजा रूगोणियों की ढाणी पटवार मण्डल भीमडा तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 328, 482, 483 रकबा क्रमशः 148.09, 00.06, 27.18 बीघा की भूमि में प्रार्थीनी के हक हिस्से व कब्जे की भूमि में विप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलअन्दाजी कारित नहीं करें। न ही किसी प्रकार का कोई कच्चा–पक्का निर्माण करें। वर्तमान मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। इसी माफिक पक्षकारान् पाबन्द रहे। विप्रार्थीगणों को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जवाब दिनांक 04/12/19 को पेश हों। [signature] सहायक कलक्टर (उ.अ.) बायतु	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.29 12:57:01 IST
Reason: SelfAttested

रा॰ आवे॰ सं॰ - 337/19 भगवान - देवी v/s जवरी देवी वगैरा

04/12/19 प्रार्थीनी व अप्रार्थीनी के वकील उपस्थित।

प्रार्थीनी का मूल वाद Not press में खारीज हो चुका है इसलिए आवेदन का कोई औचित्य नहीं रहता। अतः प्रार्थीनी का उक्त आवेदन इसी स्टेज पर खारीज कीया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
4.12.2019

सहायक कलेक्टर (SDO)
बायतु

क्र. नि. देवी

Note Press

(हस्ताक्षर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.29 12:57:01 IST
Reason: SelfAttested